THE DEPUTY CHAIRMAN: If anybody does not listen to me, I am instructing that it will not go on record... It is not going on record...

श्री संघ प्रिय गौतम: *

(व्यवधान)

RE. KILLING OF A M.L.A. OF BIHAR

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार): महोदया, बिहार के एम.एल.ए. की जो हत्या हुई है उसके बारे में स्वराष्ट्र मंत्री जी ने बयान ..**(व्यवधान)** देने के लिए कहा था... **(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now we have the Minister here. We will take up the Cess and other Taxes on Minerals (Validation) Bill, 1992. No Bihar, please... Mr. Aurora, you may speak...

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: हाउस में एश्योरेंस दी गयी थी कि बिहार में जो एम.एल.ए. की हत्या हुई उस पर बयान आयेगा ..**(व्यवधान)** यह कब आयेगा।

उपसभापति: अहलुवालिया जी, आप बैठिये।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: महोदया, यह बतायें ... **(व्यवधान)**

उपसभापति: मैं पूछकर बता दूंगी...**(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: आपने पूरी संवेदना .. **(व्यवधान)** प्रकट की थी ... **(व्यवधान)** संवेदना के साथ सदन को आश्वासन दिया गया था ... **(व्यवधान)** सरकारी दफ्तर के अंदर जो हत्या हुई उसकी भर्त्सना की गयी थी ... **(व्यवधान)** स्वराष्ट्र मंत्री जी ने एक आश्वासन दिया था कि वे इस सदन को बताएंगे कि किन हालातों में उनकी हत्या हुई थी। कब बयान देंगे, यह बतायें ... **(व्यवधान)**

RE. EXISTING SITUATION IN PUNJAB

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Aurora, let me deal with him because I know in spite of you being a General you cannot bring your guns here and shoot everybody with your voice. So let me keep the line clear so that you can shoot. Mr. Ahluwaliaji, I will find out from the Ministerand let you know...

अहलुवालिया जी, अब आप बैठिए। बोलिए जनरल साहब।

_ Not recorded.

SARDAR JAGJIT SINGH AURORA (Punjab): Thank you, Deputy Chairperson, I would like to draw the attention of the House through you that after the elections, the *Panches* and *Sarpanches* in various villages in Punjab where the people had not voted in sufficient numbers are being put in jails. They are still in jails. The police is using strong-arm methods to find out why they did not persuade the people to vote. Similarly, all the senior leaders of the Akali Dal and the BKU are still in jail. The Government, instead of trying to work together, is adopting the method of concentration. Because of this, the situation in Punjab is deteriorating day by day. Unless the Government changes its attitude and gets the people to its side, the situation will go from bad to worse. In addition, the focal point in Punjab for the farmers has been now done away with. As a result, taking the crops to the market has become very difficult. The Government is playing in the hands of the army rather than looking after the farmers' interest. Thank you very much.

THE CESS AND OTHER TAXES ON MINERALS (VALIDATION) BILL, 1992

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now we will take up the Cess and other Taxes on Minerals (Validation) Bill, 1992. Shri Bal Ram Singh Yadava to move the Bill.

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): मैडम...**(व्यवधान)**

उपसभापति: अभी यादव जी, अब एक यादव बोल रहे हैं तो दो यादव कैसे बोलेंगे? एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती हैं।.....**(व्यवधान)**

श्री ईश दत्त यादव: मैडम, मैं दो मिनट समय लूंगा।

I will allow you. But let the Minister finish .....*(Interruptions)* Not now...*(Interruptions)* That is not the way.

देखिए, यादव जी, आप कमिटमेंट देते हैं.....(व्यवधान)

श्री ईश दत्त यादव: मैं मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि दो मिनट का समय दे दें।

THE DEPUTY CHAIRMAN: **आप बोलिए-बोलिए।.....(व्यवधान) आप एक**

मिनट बैठ जाइये। मैं समय पर बुला लूंगी। मैंने ना नहीं बोला।

श्री ईश दत्त यादव: आपके हुक्म का पालन करते हैं।

उपसभापति: मेरे हुक्म का बिल्कुल पालन आप करते हैं, मैं आपकी आभारी हूं। श्री बलराम सिंह यादव।

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): उपसभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि,

> "लोक सभा द्वारा यथा पारित खनिजों पर उपकर और अन्य कर (विधिमान्यकरण) विधेयक, 1992 पर विचार किया जाए"।

महोदया, आपकी अनुमति से विधेयक को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करते हुए मैं कुछ शब्द निवेदन करना चाहूंगा।

विभिन्न राज्य सरकारें अपनी-अपनी विधायिकाओं द्वारा पारित कानून के आधार पर खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित रायल्टी के अलावा खनिजों पर उपकर और अन्य कर लगा रही हैं। सर्वोच्च न्यायलय ने 4 अप्रैल, 1991 के अपने निर्णय में राय व्यक्त की है कि रायल्टी पर लगाया जाने वाला उपकर, रायल्टी पर कर है, जो राज्य विधायिका के अधिकार क्षेत्र से परे हैं क्योंकि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 इस पर लागू होती है और सूची 2 की प्रविष्टि-23 के अंतर्गत राज्य विधायिकाओं की सक्षमता को समाप्त कर देती है तथा घोषित किया कि अलग-अलग राज्य सरकारों द्वारा पारित विभिन्न कानूनों के अंतर्गत लागू किए गए उपकर और अन्य लेवियां संविधान के विरुद्ध हैं।

उपकर और अन्य राज्य लेवियों के अंतर्गत एकत्र राशियों को लौटाने से राज्य सरकारों को बचाने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि 4 अप्रैल, 1991 तक विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा खनिजों पर वसूल किए गए सभी उपकरों और करों के विधिमान्यकरण के लिए एक कानून लाया जाए क्योंकि इस तरह वसूल की गई राशि को वापस करने से राज्य सरकारों के लिए भारी वित्तीय संकट उत्पन्न हो जायेंगे और चूंकि ये लाभ खपतकर्ताओं को, जो विभिन्न न्यायालयों द्वारा रद्द की गई लेवियों को अंततः वहन करते हैं, को लौटाना भी कठिन होगा।

उपर्युक्त बातों पर विचार करते हुए, भारत के राष्ट्रपति ने 15 फरवरी, 1992 को खनिज उपकर और अन्य कर (विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1992 प्रख्यापित किया। इस अध्यादेश से सात राज्य सरकारों द्वारा 4.4.91 तक लागू खनिजों पर उपकर और अन्य करों की वसूली को विधिमान्य करना है। अतः इस अध्यादेश को संसद् के एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है।

इस विधेयक को अध्यादेश के स्थान पर लाना है, और राज्यों के ऐक्टों को विधिमान्य करके वसूल किए गए उपकर को वापस करने के दायित्व से मुक्त करना है। इसे लोक सभा द्वारा 31.3.1992 को पहले ही पारित किया जा चुका है।

अतः मैं सदन द्वारा विचार के लिए यह विधेयक सौंपता हूं।

The question was proposed.

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार): उपसभापति जी, मुझे खुशी है कि सरकार की नींद टूटी है हालांकि बहुत विलम्ब के साथ। एक बात मैं पहले ही कह दूं कि कल तक हम लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि आज यह विधेयक यहां विचारार्थ आने को है। आज सवेरे जो हम लोगों को कागज़ात मिले हैं। उसमें यह मिला है और यहां हाउस में आने पर पता चला कि मंत्री महोदय अभी इसे ला रहे हैं।

महोदया, इस सदन में पहले कई बार इस तरह की बातें उठती रही हैं कि केन्द्र सरकार को खनिजों पर उपकर और अन्य कर के संबंध में नए सिरे से विचार करना चाहिए और विशेष तौर से जो राज्य इनके अधीन आते हैं, जिनकी कि चर्चा इस विधेयक में की गयी है, आंध्र, बिहार, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु, ये सात स्टेट्स इसके अंतर्गत सीधे तौर पर आ रहे हैं। सबसे पहले यह आवश्यक था कि इन सातों राज्यों के मुख्य मंत्रियों को या उन संबद्ध राज्यों के संबद्ध मंत्रियों को बुलाकर केन्द्र सरकार इस पर विचार-विमर्श करती क्योंकि यह आपका ऑर्डिनेंस लैप्स हो रहा है, इसलिए आप विधेयक लाए हैं, तो उसको देखने से ऐसा पता चलता है कि यह बहुत ही जल्दबाजी में की गयी एक कागजी कार्यवाही है, लेकिन अगर सातों राज्य जो इससे प्रभावित हो रहे हैं और जिनके यहां पहले से इस तरह का एक कानून प्रचलित है भी, जिसकी कि धाराओं का उल्लेख आपने इसमें दिया भी है, मैं यह उचित समझता था कि आप उनसे बातें करते, बातें कर के कोई निष्कर्ष निकालते और निष्कर्ष निकालकर तब आप इस विधेयक को सदन में लाते। यह एक अच्छी परंपरा भी होती क्योंकि राज्य और केन्द्र के संबंधों को लेकर प्रायः हम इन बातों का जिक्र करते हैं और अनेक राज्यों की यह जायज शिकायत भी है कि केन्द्र द्वारा उन पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके साथ ही खान और खनिजों की रायल्टी और सेस दर, इन दोनों को लेकर

[श्री शंकर दयाल सिंह]

प्रायः एक अशांति का वातावरण बना हुआ है। महोदया, मैं अपने राज्य की बात जानता हूं। बिहार राज्य आप मानेंगे कि खान और खनिज की दृष्टि से आज भी देश का सबसे महत्वपूर्ण प्रांत है। कोयला, जस्ता, आयरन ओर, लैड, मैंगनीज, और कई तरह की चीजें वहां निकलती हैं और पूरे देश में आप उनकी सप्लाय करते हैं। विदेशों में भी उनका निर्यात करते हैं और बिहार के मुख्य मंत्री ने कई बार इस तरह की बातें कही हैं कि इसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए। संसद में भी इस तरह की बातें उठी हैं और हम लोगों के साथ उड़ीसा के भाइयों ने, आंध्र के भाइयों ने, महाराष्ट्र के भाइयों ने बात उठायी है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। तो जब हमने आवाज उठायी, तब आपकी नींद टूटी और कुछ दिन पहले आपने एक अध्यादेश जारी किया और कुछ रायल्टी का भुगतान भी किया है पूरा भुगतान तो अभी तक नहीं किया है मेरी समझ में, लेकिन कुछ भुगतान आपने किया है इन मदों में। महोदया, मैं यह चाहता हूं कि हमारे सामने यह जो खनिजों पर उपकर और अन्य कर विधि मान्यीकरण विधेयक, 1992 आया है, इसको अधूरा मानकर चला जाय। इसे मैं पूरा नहीं मानता हूं और पूरा मैं इसलिए नहीं मानता हूं कि इस पर जो "होम टॉस्क" होने की जरूरत थी, वह नहीं हुआ है और इसलिए मैं इसे न तो अमान्य कर सकता हूं और न मान्य कर सकता हूं। उपसभापति जी, मैं अमान्य इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हम लोग खुद यह मांग करते थे कि केन्द्र को इस तरह का एक विधेयक लाना चाहिए। यह विधेयक आया है और जो इस संबंध में उचित कार्यवाही होनी चाहिए थी, वह कार्यवाही अब तक नहीं हुई है और आगे भी होगी इसकी हमें शंका है। इसलिए हम इसे अमान्य भी कर रहे हैं। तो मैंने मान्य और अमान्य दोनों बातें कही हैं, लेकिन मैं सरकार से यह जरूर कहना चाहूंगा कि अभी भी आपको मौका है कि आप इन सातों राज्यों के मुख्य मंत्रियों और संबद्ध मंत्रियों को बुलाइए, बुलाकर आप बातें करें और एक श्वेत पत्र इस पर तैयार करें क्योंकि आर्थिक स्थिति जो देश की है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है और बिहार में खासकर जो हमारे क्षेत्र हैं, जहां कि सबसे अधिक खान व खनिज हैं, वह हमारा आदिवासी क्षेत्र है और उपसभापति जी आपको पता है कि पिछले दिनों झारखंड आंदोलन को लेकर जो आर्थिक नाकेबंदी की गयी है, उस नाकेबंदी का शिकार भी वह क्षेत्र हुआ है। केन्द्र सरकार ने उस पर एक आश्वासन दिया है और ध्यान दिया है, लेकिन रोज-ब-रोज तो इस तरह के "सेस" और मिनरल टैक्स संबंधी विधेयक आ नहीं सकते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना इसमें यह होगी कि बिहार, उड़ीसा, आन्ध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन सातों राज्यों के प्रतिनिधियों को बुलाते हुए वहां जो खान और खनिज की स्थिति है, उसको गंभीरता से लेते हुए, उसको देखते हुए, उनके सैस की राशि कितनी बकाया है, कितनी देय है और किस ढंग से आप उनको जायज तरीके से देय कर सकते हैं? मैं इसलिए इन बातों को मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं कि आज नहीं तो कल, अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो स्थिति और भी भयानक होगी और स्थिति यह भयानक हो सकती है कि जिन राज्यों में अभी इस तरह के माइन्स एण्ड मिनरल्स हैं, वे राज्य स्वायत्तता की दृष्टि से यह भी मांग कर सकते हैं कि हम इनके ऊपर केन्द्र के अधिकार को नहीं मानते हैं, हम स्वयं इस बात के लिए सक्षम हैं और आप जानते हैं कि कई राज्यों में इस प्रकार के बोर्ड्स, कोआपरेशन्स गठित हो गए हैं।

इसलिए मैं इसमें अधिक समय न लेकर चाहता हूं कि मंत्री महोदय जब जवाब देने लगें तो इस बात का भी उत्तर दें कि उन्होंने उन राज्यों में, खासकर बिहार के बारे में मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कितनी राशि बिहार की केन्द्र के पास रॉयल्टी की बकाया थी, कितनी राशि का आपने भुगतान किया, कितने पर कर का हकदार बिहार है और देश में अभी जो माइन्स एण्ड मिनरल सम्पदा है, उसमें हमारा हिस्सा क्या है? मैं संकुचित तरीके से इन बातों को न पूछकर आपसे यह कहना चाहता हूं कि विस्तारपूर्वक इन चीजों को अपने ध्यान में रखते हुए तब आप इस विधेयक को पूरे मुकम्मित तौर पर पारित करें और अगर आज पारित करने की आपको जल्दबाजी है तो इन बातों के संबंध में भी आप आश्वासन देकर हमारा भ्रम दूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Madam, I rise to support this Bill to replace the Ordinance promulgated by the President on 15th February, 1992. Madam, we know this mining lobby is a very powerful lobby. Whenever there are attempts bv ' local se,lf-Government. bodies, the panchayats, the municipalities and the State Government to collect cesses or taxes, there is a collusion and connivance of this powerful lobby with the judiciary. We see that with no difficulty they get some stay orders and this amount which is collected by these developmental bodies is made to be refunded by the Government or the panchayats. The Central Government has rightly issued this Ordinance to do away with this malpractice. The Prime Minister has more than once said in this House that we should not export raw materials at cheap rates to foreign countries because it is those countries who are benefited by it. We know what happened to

India prior to the independence of India. Indian cotton was exported to Manchester and we imported the finished goods at exorbitant prices. The same process is going on. For example, in my State of Goa the mining industry is in the private hands. The land is owned by the Government and it is leased out to a few private mine owners, five or six mine owners. These mine owners, in turn, export these minerals, that is. iron ore. bauxite: etc to Japan and Australia and they get only about 15 dollars per tonne That is what they account to the Government per tonne. I think this process of extraction of minerals is in a primitive stage because mostly in India mining is done by opencast mining system. There is a lot of pollution; a lot of greenery has been destroyed and forest coverage has been brought down. So, it is for the Central Government authorities, the panchayats, the municipalities and the State Governments to see that proper facilities are provided, proper steps are taken to protect the environment and proper infrastructure is created to provide the citizens electricity and drinking water. You will see in some of these mining areas there is a blanket of dust. There are no attempts by these mine owners to have any environmental protection machinery so much so that this dust travels into the wells and the people drink this mineral ore along with the water. As a result. Madam, there is a lot of sickness. I would request the Centra! Government that in view of the announcement made by the Prime Minister we should not export our raw material at cheap rate. Directives should be sent to State Governments. Madam, since the announcement of the Prime Minister, many State Governments are signing more and more contracts to export mineral ore. For example, in my State, Goa. recently bauxite mine has been allotted to a private party for export.

So I fully support this Bill which will replace the Ordinance promulgated by the President, because it will do away with the malpractices which the mine-owners indulge in to rob the Exchequer of benefeits.

With these few words, Madam. I support this Bill and hope that whatever suggestion I have made will be fully implemented.

Thank you.

SHRI SUNIL BASU RAY (West Bengal): Madam, the Bill has again come up before us about the cess on minerals. On 31.7.91 there was a discussion in this House on this very issue. There was a statement from the Coal Minister which had prompted the discussion. And today the House is again discussing the same issue. The occasion is to pass the Cess And Other Taxes on Minerals (Validation) Bill, 1992.

The Bill was preceded by an Ordinance promulgated on 15th February. 1992 (No. 7 of 1992). A statement was made by the Minister-incharge explaining the circumstances attending the promulgation. The statement informs that "The Supreme Court in its judgment dated 4th April 1991 has held that a cess on royalty being a tax on royalty, is beyond the competence of State legislatures because section 9 of the Central Act covers the field and the State legislatures are denuded of their competence under entry 23 of List II, and
declared the cess and other levies ..... passed by the respective legislature ... as *ultra vires* of the Constitution." What should have been proper is to have brought an amendment to the Constitution to confer the right upon the State legislatures. This Bill, to protect the State Government, does not do so in reality. The Centre is not doing justice to the States in this matter.

First, the States' right to impose royalty, cess, taxes on extraction of all minerals has not been acceded to. Second, the so called rationalised "cess" component has deprived the States of West Bengal, Bihar and Orissa. They will lose even what they were getting earlier.' Third, the Centre has failed to consider "royalty, i cess" as land revenue, and hence a State subject. Fourth, the Centre has ignored the recommendation of the Sarkaria Commission which has suggested review of the rates every two years. The Centre has preferred three years.

The Sarkaria Commission has observed in Part I, Chapter 13 of its report on Centre-State Relations:

'Royalty from minerals is an important

[Shri Sunil Basu Ray] source of revenue for States.'"

"The concerned States have mostly complained that the rates of royalty do not reflect the rising value of minerals. They feel that they are deprived of additional revenue and are in favour of fixation of royalty on *ad valorem* basis which will automatically adjust the royalty rates according to the value of the minerals."

The Sarkaria Commission, while agreeing that 'frequent changes' should not be made has, however, agreed that "there should also be some proximate relationship between price increase and royalty rates." The Commission has itself observed that between 1982 and 1986 coal prices have increased by Rs. 100 approximately while the royalty rate remained unchanged.

The Government have conceded that since 1985-86 manpower in coal is static, production between 1985-86 and 1990-91, has increased by 41.5. per cent; OMS has increased by 40 per cent. The cost of production increased by 27.9 per cent. The rise in the wholesale price index was 45.59 per cent during this period. And the new rate of royalty, inclusive of ces, grants an increase of 19 percent on an all-India basis while awarding a loss of Rs. 135.13 crores for Bihar, Rs. 1.56 crores for Orissa, and Rs. 113.77 crores for West Bengal.

The Sarkaria Commission, has, therefore, rightly observed that "there is no restriction on Parliament even now in changing the royalty rates at more frequent intervals. We are of the view that the period should be reduced to 2 years", and that the rates be revised again. The Commission had recommended continuance of both royalty and cess, but a uniform rate in all States. The Government have ignored it also.

The other vital aspect to be reconsidered is the consequential effects of mining, especially, in densely built up area of Raniganj, Jharia, and Chirimiri in Madhya Pradesh. The devastating method of mining, generally inhabited by the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and the Backward people has made them devoid of land, livelihood, and basic necessities of daily life i.e. water, homestead, cultivation, etc.

I read out in this respect a telegram that I have received from the coalmining area in Raniganj. It says:

> "Emitting offensive gas between 12 and 13 pillar East Section 5 and 6 pit, Laskarbandh collery, Pandaversdwar area, ECL, from 27th March 1992 (.) DGMS not yet visited (.) Demanding immediate intervention and restoration of favourable working conditions (.)"

This is the life of the people who live in the mining areas. They have no safety, no security to their life or their livelihood. So, I demand that these aspects should also be taken into consideration by the hon. Minister while replying.

The world that the people lost has left a void, and no new world is emerging. The curse of British colonialism is still haunting us. And, we are basking under the warmth of royalty and cess.

The Bill reflects the policies of the Government which is alienated from our people's problems. The question of royalty should be treated as an inalienable part of land revenue for regenefation and rehabilitation of the economy and the people. The Central Government should come out with a comprehensive plan.

I support Shri Shakar Dayal Singh's proposal for a meeting of all the concerned Chief Ministers. I support the Bill in so far as it intends to prop up the present States' economy which has come to a very critical situation as a result of the Supreme Court's judgement.

Thank you, Madam.

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Madam, I rise to support the Cess and other Taxes on Minerals (Validation) Bill, 1992. While supporting this Bill, Madam, I have to make one or two observations.

Madaam, no doubt, it is an income to the State. But while permitting the items, the minerals, the State has to take a certain amount of care.

Madam, in my State, granite has become a goldmine rather than a granite-mine. I would have been happy if the Government had derived the necessary tax and royalty. But, unfortunately, that

has become a source of corruption, rather than helping the people. Madam, actually, what is the effect of this? The effect is that the cost of the buidling materials has gone up. Even the small farmers, the landless labourers use stone for the construction of their houses. Even the Government is the biggest consumer in the construction of the Janata houses. And the Housing Board and the HUDCO are the users of this. But the cost of construction has gone up because of an indiscriminate leasing out of the granite fields just to help the middlemen or just to encourage corruption. So, I request the hon. Minister to regulate such leases. Wherever the comman man's interest is affected, if necessary, there should be a ban also. Why should we sell our stone, mud and sand and everything to foreign countries? Is it just because we are having a market there? We may be having a market but what about the common man who has to build a hut or a house for himself? So there should be a provision that such of those articles which hit the weaker sections of the society should be kept out of the list of the minerals and the State should not take those items as mineral product to levy cess.

My second point is, in Karnataka there are still gold deposits in many parts of the State. But unfortunately, that is not being explored. One gold mine's company which is a State Government concern is not able to invest in the mine or develop that gold mine. I request the Government of India to explore whether the old gold mine which was abandoned being not economical at that time, could be developed now. because in spite of the present rate of gold even after liberalisation by the Finance Minister, the gold still has its own value. With the present rate of gold, there is ample scope for developing those gold mines. In my district, in my own native place, there was a gold mine about 50 years ago; still there is some gold deposit. That gold mine was being run by a private person who abandoned it because it was not economical because the gold those days used to sell at Rs. 30 or Rs. 50 per tola. But now at the present rate of Rs. 4000 or Rs. 5000, gold mining is no longer uneconimical. These gold mines can now be developed.

In Kapalguda in Dharwar district, in Chitradurga, there is a copper mine where a byproduct of gold is available. Gold is still being extracted but the mine is not being developed. I request the hon. Minister to see that all these deposits are properly explored, and paticularly in Karnataka there' are various places where gold is available. The Government of India in consultation with the State Government if necessary, should take steps to explore those mines. Now the Kolar Gold Fields is being closed, which will be putting up a dangerous proposition before the women of the country. Hon. Members speak about women everytime and say that women are so fond of gold. Now that the KGF is being closed, and gold mining is being stopped, it will pose an acute problem...

SHRI V. GOPALSAMY (Tamil Nadu): Lakhs of people will be unemployed.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Yes. of course. I know. Mr. Gopalsamy will be the first victim by closing down of the KGF.

SHRI V. GOPALSAMY. At least on this you take up the cause of Tamil Nadu,

PROF. SAURIN BHATTACHARYA (West Bengal): There will be ample quantity of gold with every NRI coming to the country.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: We can block that. The question is whether we can harness our own gold in our own mines. Why should we invite NRIs with gold when our own gold is available? We are fond of gold; our ladies are force of gold....

SHRI V. NARAYANASAMY: (Pondicherry): Men also are fond of gold.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): No, I am not fond of that; I don't have a single gram of gold on my hand.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: I request the Government to take note of it. There still are gold deposits in Karnataka and in various other places. Kindly explore and develop those mines. This will also generate alternate employment in case of KGF being closed down.

With these words I support the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Ashwani Kumar, not here. Shri Yashwant Sinha.

SHRI YASHWANT SINHA (Bihar): The Bill which has been brought before this House is in itself quite simple in nature because it seeks to confer through validation some powers retrospectively on the State Governments. This is something which the State Governments had already done. But this is to ensure that they keep the money by way of cess that they had realised earlier, a power which the Supreme Court held they did not have. But this is only one small part of the question which is covered by this legislation. It raises many larger issues and one issue, to my mind, which it raises is, the whole question of Centre-State relationship specially in the case of minerals.

Here I would like to refer to an entry in the Seventh Schedule. Entry No. 50 of the List II-State List says: that the States are empowered to levy taxes on mineral rights subject to any limitations imposed by Parliament by law relating to mineral development. Unfortunately, the Central legislation on the subject hampered or handicapped the States and nobody was conscious of this fact until the Supreme court came out with its judgement and struck it down saying that the States did not have power to levy cess. This has affected the whole range of minerals which are being produced in the various States. As I said, since this legislation is only a limited act of validation, the point which arises is, why keep the nature of this Bill so limited? The suggestion which I would like to make to the hon. Minister, through you Madam, and there is a question also which arises in our minds is, why did not the Government of India come out with a legislation which would have empowered the State Governments to continue to levy cess on minerals produced in their States? This is a point on which I am not clear. If there can be a Central legislation to empower the States to validate what they have done and keep the money realised through the cess which they have levied, why is it not possible to make the necessary amendment in the Central legislation itself in terms of the entry in the Constitution to enable the State to permanently be able to levy a cess on the minerals produced by them? This is the first point.

Secondly, as I said it involves an important question of Centre State relations. Coming from Bihar, Madam Deputy Chairman I know that this has been the point of serious contention between the States and the Centre. The State have been repeatedly claiming that one of the important sources of revenue for them is the minerals produced in their respective States. If they are hamstrung,, if they are limited by a Central legislation from levying tax or cess or royalty on minerals, their capacity to raise resources gets severely curtailed. When they come for discussions with the Planning Commission, the Planning Commission imposes on them the responsibility to raise internal and additional resources, they find it extremely difficult to meet the Planning Commission target. I could give just one example of the State Government of Bihar. For the year 1991-92, which has just gone by, after discussions with the Planning Commission the Annual Plan was fixed at something like Rs. 2200 crores and you know, where we are going to finish? Rather we have, finished at an Annual Plan at the level of Rs. 500 or 550 crores. This is the scandulous aspect of this whole situation.. The poor State like Bihar will have an Annual Plan of only Rs. 500 or 550 crores. This "is the information which I have about Bihar. Why has this situation arisen? This situation has arisen because the Bihar Gov-' ernment had agreed for this Annual Plan, that they will do additional resource mobilisation of the order of Rs. 850 crores on the basis of which this Plan size of Rs. 2200 crores was fixed and the State Government was, unfortunately, able to mobilise only Rs. 50 crores. Therefore, the Central assistance also suffered and the State Plan has been reduced to almost nothing. This Rs. 500 or 550 crores will only be maintenance expenditure, the revenue expenditure of the Plan. Even that will not be adequately met and the capital expenditure on the Plan will not be incurred.

This is the situation of a State Government like that of Bihar. Now this Judgement of the Supreme Court came at a time when we were in Government. We

were not in a position to do anything because the Lok Sabha had already been dissolved. It was not possible for us to bring any legislation to validate the action of the State Government. We were trying to take temporary measures which would give relief to the State Governments, but we had hoped that when the new Government would take position in Delhi, it would be possible for the new Government to bring an Act validating the right of the States to levy cess. Unfortunately, that has not been done and, as my friend, Shri Shankar Dayal Singh has also said, it is a very limited legislation. It is extremely limited in its nature. Now, Madam Deputy Chairman, I would like to ask the Minister, do you know that as regards coal, in terms of the money that they are going to get by way of increased royalty which has been fixed by the Central Government, the State Government of Bihar is going to lose over Rs. 500 crores annually because the increase in royalty has not been commensurate with the royalty and cess that the State Government was getting? They are going to lose something like Rs. 500 crores annually. Now this is the loss to our State. I am not concerned with which Government is in power and what the nature of that Government is because, if you look at it from the point of view of the States, then the loss is that of the States, and the Government of India is certainly under an obligation to make up this loss and not to put hard-pressed, financially starved, resource-wise poor. States like Bihar in such a situation. So, this is something which calls for immediate corrective action and, as some of my friends have said, if the Centre sleeps over it, if the Centre is indifferent towards it, if the Centre is callous towards the needs and demands of the State Governments, then it does not augur well for Centre-State relations.

The other point which I would like to make, Madam Deputy Chairman, is that there has been a demand from many of the Governments of the States which produce these minerals that the royalty on minerals should be on *ad valorem* basis. The prices of minerals keep on rising, but if specific rates of duty are levied, then the States are completely deprived of the rise in prices, the value added. Therefore, this has been a demand of the States—which has been pending for a long time—that the royalty on minerals should be on *ad valorem* basis, and I would like to repeat it because this, legislation which the Minister has brought before the House concerns minerals. It does not concern coal; coal is the lookout of another Ministry of the Governments But I would like, Madam Deputy Chairman, through you, to emphasize on the Minister of Mines that the Minerals with which he is concerned are also produced in Bihar and many of these States—Orissa, Madhya Pradesh, West Bengal, Gujarat and Rajasthan—in very large quantities. So, these are the States which are suffering because of this distinction. I would like to say that Gujarat, for instance, has been mentioned. Both Gujarat and Assam get royalty on the crude oil that they produce on the basis of *ad valorem* rates and not on the basis of specific rates. They have fought this battle and they have won this battle.

SHRI VITHALBHAI M. PATEL (Gujarat): No, we have not won.

.... (Interruptions)...

SHRI JAGESH DESAI: They started cases.

SHRI YASHWANT SINHA: Even the Raja Chelliah Committee has recommended that the rates of duty should be *ad valorem.* So I shall strongly plead with the Minister and his colleagues and the entire Government, in fact, that the rates of royalty on all the minerals, including coal, should be on the basis of *ad valorem* and not on specific rates of duty. In this way the State Governments will be able to muster resources.

Madam Deputy Chairman, land revenue is not an important part of the resource mobilization effort of any Government now. The only dynamic sector on which the States depend is commercial taxes—sales tax, entertainment tax and such other taxes—and mineral royalties. And if they are starved of these, if they are deprived of these, then the" States' resources are bound to suffer. Therefore. while I welcome that the Government of

[Shri Yashwant Sinha]

India has brought forth this piece of legislation—with that I do not disagree, and I think no one can quarrel with that because this is, as I said, an act of validation—I am making these points so that the Government of India could take note of them and the Government of India could come back to this House with a more comprehensive legislation which will take care of some of these points.

Thank you, Madam.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार): उपसभापति महोदया, खनिजों पर उपकर और अन्य कर (विधिमान्य) विधेयक, 1992 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदया, मैं एक ऐसे राज्य से आता हूं, बिहार से जहां देश के सब तरह के खनिजों की सबसे बड़ी खान हैं। खनिजों की खान होने के बावजूद भी हमारा राज्य देश में गरीबों के राज्यों में भी शायद सबसे प्रधान है। उस राज्य की गरीबी का मुख्य कारण यह है कि हमारा जो मुख्य रेवन्यू अर्न करने का रास्ता है खनिज पदार्थ, आज तक उस पर हमें सही कीमत या सही रायल्टी नहीं मिलती। इसकी लम्बी लड़ाई है और चलती आ रही है। अगर हम आयरन ऑर का मसला लें, वैसे यह इस मंत्रालय के तहत नहीं आता, फिर भी मैं कहता हूं कि हमारे यहां दो बड़े लोहे के कारखाने हैं। एक टाटा स्टील और दूसरा बोकारो स्टील। उसके बावजूद भी हमें क्या मिलता है? हमारे यहां स्टील बनता है और वह स्टील सारे भारत को बंटता है। टाटा स्टील तो विदेश तक में फेमस है पर हमें क्या मिलता है, हमारे राज्य को क्या मिलता है? इसी तरह से हमारे यहां बाक्साइट भी उत्तम किस्म का है। बिरला जी की कम्पनी है हिन्दुस्तान एल्युमीनियम कारपोरेशन, हिंडाल्को चलती है। उसका एल्युमीनियम भी भारत में बहुत उत्तम किस्म का माना जाता है क्योंकि वह बिहार के बाक्साइट से बनता है। बिहार राज्य को क्या मिलता है, कितना मिलता है?

इसी तरह से बाक्साइट, डोलोमाइट नेचुरल ग्रेफाइट है। हमारे यहां नेचुरल ग्रेफाइट डाल्टनगंज और पलामू के इलाके में होता है। इसके तहत हमें क्या मिलता है? अच्छी क्वालिटी के नेचुरल ग्रेफाइट की हमारे यहां माइनिंग होती है उसके बावजूद भी हमें कुछ नहीं मिलता। अगर हम देखें तो हिन्दुस्तान कॉपर घाटशिला में है, बिहार में है। पर हम कितना रेवेन्यू अर्न करके देते हैं? जो हमें प्राप्य है, जो हमारा अधिकार है, जो हमें मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। हमारे यहां से मैंगनीज लेकर लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं। फैरो मैंगनीज बना रहे हैं। इससे हमें जितनी रायल्टी मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है।

यह सैस का मामला क्यों आता है। हर राज्य में एक प्रैशर ग्रुप तैयार होता है। कोर्ट के माध्यम से लोग सैस लेते रहे हैं। हमने देखा है कि जब से आपने सैस को रायल्टी में परिवर्तित किया कुछ महीने पहले उससे हमें नुकसान ही रहा। हमारे कोल मंत्री जी ने कोल के बारे में डिक्लेयर किया। कोल भी हमारे यहां उत्तम किस्म का मिलता है। झरिया कोल फील्ड माइन्स नामी है। हमने देखा कि जो सैस से हटाकर रायल्टी फिक्स की गई उससे हमें सलाना 98 करोड़ का नुकसान हुआ। दूसरे राज्यों को जहां कोयले की प्रोडेक्शन कम है उनको रायल्टी में जाने से फायदा हुआ है और हमारे यहां कोल की प्रोडेक्शन ज्यादा है लेकिन हमें रायल्टी में जाने से नुकसान हुआ है। ऐसे विधेयक लायें हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पर ऐसे विधेयक लाने के पहले कम से कम सोचना चाहिए कि इससे हम राज्य के रेवेन्यू में कुछ योगदान दे सकेंगे या सिर्फ प्राइवेट इंडस्ट्री जो चला रहे हैं वही फायदा उठाते रहेंगे। जिस तरह बाक्साइट, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, मैंगनीज, कॉपर और कोल यह सब प्राइवेट इंडस्ट्री को जा रहा है और फायदा उनको ही हो रहा है। मुल्क में जिस तरह से महंगाई बढ़ती है उसी तरह से राज्यों में लोग भी तनख्वाह बढ़ाने की मांग करते हैं। प्राइस राइज का एक स्पाइरल चलता है। एक नेगेटिव इकोनोमिक साइकल चलती है। कीमतें बढ़ती हैं। उसके बाद कॉस्ट आफ प्रोडेक्शन बढ़ती है और कॉस्ट आफ प्रोडेक्शन के बाद कंज्यूमर मार्किट में महंगी चीजें आती हैं। इसी तरह से ये चीजें घूमती रहती हैं।

12.00 Noon

महोदया, इस स्पीरल नेगेटिव इकनोमिक सर्कल को रोकने के लिए ऐसा विधेयक बने उस पर ध्यान देने की जरुरत है कि किस तरह से राज्यों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिया जा सकता है क्योंकि यह उनका हक है। अगर आप नहीं देंगे तो अंत में राज्य में बगावत होती है और राज्यों और केन्द्र के बीच तनाव की स्थिति आती है। यह स्थिति आने के पीछे कारण क्या है? मैं समझता हूं कि यही कारण है।

महोदया, मैं आपकी तवज्जह चाहूंगा।

उपसभापति: आपकी तरफ मेरी तवज्जह है। वे नाम पूछ रहे हैं कि लिस्ट में उनका नाम है या नहीं है।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: महोदया, हमारे मूंगेर जिले में सोना थोड़ा-सा खोदने पर मिलता है। वहां पर हजारों परिवार मिट्टी को छान कर सोना निकालते हैं और सुनारों को बेच कर अपना काम चलाते हैं। इसके लिए एक सेन्ट्रल कमेटी या टीम भी गई थी। उस टीम ने वहां की स्थिति को एसेस किया था। उस क्षेत्र को बारब्ड वायर से घेर करके कई सालों से बंद किया हुआ है। लेकिन फिर भी चोरी छिपे वही धंधा चल रहा है .... **(व्यवधान)**। जी हां, सोनो उस जगह का नाम है।

यह क्षेत्र इनकी जमींदारी के अन्दर था। इस सोनो ब्लाक में किस तरह से सोना प्यूरिफाई करके निकाला जा सकता है उस पर विचार करना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि यह इकनोमिकल नहीं है, फीजिबल नहीं है तो आप फीजिबिलिटी एसेस करने के लिए फिर एक टीम भेजिये और इसको एसेस करवाइये और देखिये कि इसको कराया जा सकता है या क्या किया जा सकता है। ठेके या लीज पर भी काम हो सकता है। यहां पर डोलोमाइट, बोक्साइट, लाइम स्टोन और दूसरी चीजों की अनअथोराइज्ड माइनिंग होती रहती है। अगर माइनिंग डिपार्टमेंट से पूछे कि उनके पास लाइसेंसिंग की कोई डायरेक्टरी या लिस्ट है तो वे बताने में असमर्थ हैं। चाहे राज्य सरकार हो या केन्द्रीय सरकार हो, वे बताने में असमर्थ हैं। लोकल लोगों से मिलकर माइनिंग का काम चलता है और धड़ाधड़ चल रहा है। जमीन तो खड़ी होकर कहेगी नहीं कि मुझ को काटकर मिनरल नहीं निकाला जा सकता है। इसलिए इसको रोकने के लिए कोई तौर तरीका निकालना होगा।

जहां तक हमारे राज्य का सवाल है, राज्य के अधिकारों का सवाल है, मैं इस बिल का समर्थन तो करता हूं लेकिन साथ साथ मांग करता हूं कि अगर आप इन चीजों को रोकना चाहते हैं और सेस को अपने अधिकार में लेना चाहते हैं तो आप रायल्टी फिक्स कीजिये। हर एक मिनरल की रायल्टी फिक्स करने की जरुरत है। आप जानते हैं कि 1952 या 1956 में रायल्टी फिक्स हुई थी। तब से सौ गुनी फिनिस्ड प्रोडक्ट की कीमत बढ़ गई है, लेकिन रायल्टी नहीं बड़ी है। आप चाहे तो एक रायल्टी कमीशन बैठाइये जो जितने भी मिनरल्स स्टेट में पैदा होते हैं उनकी रायल्टी को डिसकस करे और देखे कि कितनी रायल्टी बढ़ाई जा सकती है और प्राइस फेक्टर को भी देखे। पहले पिट हैड के प्राइस पर रायल्टी फिक्स की गई थी जब कि वह मार्केट प्राइस पर फिक्स होनी चाहिए। इसलिए मैं बिहार की तरफ से मांग करता हूं कि बिहार में जितने भी मिनरल्स हैं उनके बारे में तुरन्त फैसला किया जाय और इसके लिए अगर जरूरत हो तो एक टीम भेजी जाय जो मार्केट का सर्वे करके मार्केट प्राइस पर रायल्टी फिक्स की जाय।

एक बात की मैं मंत्री जी को और याद दिलाना चाहता हूं। वित्त मंत्री डा० मनमोहन सिंह जी ने गोहाटी में अपनी एक स्पीच में कहा है कि आसाम की जो रायल्टी बढ़ाने की मांग है यह जायज है, इसलिए इस जायज डिमान्ड को मद्देनजर रख कर इस पर हम फैसला करेंगे। मैं चाहता हूं कि सभी चीजों पर फैसला होना चाहिए।

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार): उपसभापति महोदया, यद्यपि यह बिल अधूरा है, लेकिन फिर भी मैं इसका समर्थन करने के लिए बाध्य हूं। इसलिए कि पहले जो राज्य सरकारों ने टैक्स वसूल किया है उसको जायज ठहराने के लिए यह विधेयक है। इसको अधूरा इसलिए कह रहा हूं कि कुछ बातें स्पष्ट नहीं है।

इसको मंत्री जी अगर स्पष्ट कर दें तो बात समझ में आ जायेगी। बात यह है कि राज्य सरकारों ने जो सेस वसूल कर लिया था उसको आप वैलिडिटेट करते हैं, यह बात ठीक है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि पब्लिक से तो कुछ कंपनियों ने टैक्स वसूल कर लिया लेकिन राज्य सरकारों को दिया नहीं। ऐसा तीस-चालीस करोड़ रुपया बिहार का बकाया है कुछ कंपनियों पर। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि इन कंपनियों को कोई अधिकार नहीं है वह रुपया रखने का। वह रुपया पब्लिक का है, नहीं तो फिर सरकार का है। तो मंत्री जी स्पष्ट कर दें कि इसके बारे में उनकी राय क्या है।

दूसरी बात मैं मंत्री महोदय से यह कहूंगा कि बिहार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भारी क्षति हुई है। मुझे जो सूचना दी गयी है उसके मुताबिक जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ है तब से बिहार को 350 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है और रायल्टी बढ़ाये जाने के बाद भी सालाना घाटा 133 करोड़ रुपये का होने जा रहा है। जो रायल्टी आपने तय की है, उसमें जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, मध्य प्रदेश और आंध्र हैं और खुद जो आपका स्टेट यू० पी० है, क्योंकि आप वहां के हैं, क्या इस कारण ही उन लोगों की रायल्टी पहले से ज्यादा बढ़ गयी है? क्या कारण है कि बिहार की रायल्टी में 133 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। कुछ और राज्य उड़ीसा और बंगाल की हालत भी कुछ इसी तरह की है, इनको भी घाटा हुआ है। तो क्या यह पोलिटिकल ग्राउंड पर किया गया है या कुछ और कारण है, इसको अगर मंत्री महोदय स्पष्ट कर दें तो ठीक होगा।

तीसरी बात, कई माननीय सदस्यों ने कहा और मैं इसका पूर्णतया समर्थन करता हूं कि यह रायल्टी एडवलरम मूल्य आधारित होनी चाहिये। अब आपने इस बजट में एक्साइज ड्यूटी के मूल्य आधारित से स्वयं यह अधिकार दे दिया है कि अब पार्लियामेंट के सामने आने की जरूरत नहीं है। आपके खजाने में रुपया आटोमेटीकली जमा होता रहेगा और जैसा चाहो वैसा खर्च कीजिये। तो जब आपने यह अधिकार ले लिया तो राज्यों को भी यह अधिकार, एडवलरम रायल्टी का होना चाहिये। इस कानून में, इस विधेयक में आप जो प्रावधान कर रहे हैं तीन साल पर रायल्टी बढ़ाने का इसका कोई औचित्य नहीं है जब कि सरकारिया कमीशन ने दो साल पर कहा था। तो आप किस कारण से तीन साल कर रहे हैं, जरा इसको भी स्पष्ट करें।

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

मैं यह समझता हूं कि अगर लगातार इसी तरह रायल्टी बढ़ाई जायेगी तो इससे मूल्य वृद्धि पर कुप्रभाव पड़ता है, मैं इस बात से अवगत हूं। लेकिन इस सिलसिले में मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि जो मिनरल्स आप एक्सपोर्ट करते हैं और जो मिनरल्स काफी धनी देशों को जाते हैं उस पर आप रायल्टी क्यों बहुत कम करके रखते हैं। जैसे जापान को भेजे जाते हैं ओर्स, आइरन ओर और दूसरी चीजों पर ज्यादा रायल्टी क्यों नहीं लगाते हैं? हम यह समझ सकते हैं कि देश के अंदर करने से मूल्य प्रभावित या कुप्रभावित हो सकते हैं लेकिन विदेशों के लिये आपको कौन रोकता है। हमारा माइका पर रायल्टी बढ़ाने को आप क्यों रोकते हैं जबकि सारा विदेश जाता है। फिर वहां जो मजदूर काम करते हैं, मैं माइका उद्योग की बात जानता हूं, इन कारखानों में जो काम करते हैं उनमें सौ में से 30-40 आदमी सिलोकसिस या टी०बी० के शिकार हो जाते हैं। उनकी जो हिफाजत होना चाहिये आप इस तरह के प्रावधान नहीं रखते। आप उनको वंचित कर देते हैं। इसलिये मिनरल्स जो एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिये आप रायल्टी या कल्याण सेस ज्यादा करें और राज्यों को अधिक रिसोर्सेज देने में मदद दें।

अगली बात मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकारें ...**(समय की घंटी)**... मैं दो मिनट लूंगा।

राज्य सरकारों को आप ज्यादा सहायता नहीं भी दे सकें तो उनको यह अधिकार दीजिये कि वे खुद माइनिंग करें। प्रापर्टी उनकी है, वह उनकी चीज है, जैसे दूसरे लोग अपनी चीज का व्यवहार करते हैं उसी तरह से उनका माइनिंग का अधिकार दे दीजिये। इससे उनको अपने डिफिसिट बजट को, घाटे के बजट को पूरा करने में मदद मिलेगी। दूसरी बात, अगर मिनरल्स का एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोयला वहां हमारी सम्पत्ति है, तो कोयले को एक्सपोर्ट करने का भी हमको अधिकार होना चाहिये। जब सभी बाकी चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो हमको भी यह अधिकार होना चाहिये। हमको उससे ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो कम से कम इन मिनरल्स की वेल्यू को ऐड करके हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें, इसके लिये आप फाइनेंसेस राज्यों को दीजिये ताकि मिनरल्स की वैल्यू को ऐड करके हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें। इससे विदेशी मुद्रा में इजाफा होगा और उन राज्यों को भी इससे मदद मिलेगी।

अन्तिम बात कहने के पहले, मैं यह कहना चाहूंगा कि खनन करने के लिए वहां से आबादी को हटाना पड़ता है उसका पुनर्वास करना पड़ता है। जिससे इकोलोजी एडवर्सली अफेक्ट करता है। इन दोनों की क्षतिपूर्ति का आप अलग से कानून बनाइये नहीं तो राज्य सरकारों को बाध्य होना पड़ेगा वह भी अलग से कानून बना कर सेस के घाटे को कम्पनसेट कर लेंगी या फिर सेल्स टेक्स बढ़ा दिया जाएगा ताकि हम क्षतिपूर्ति कर सकें। इसलिए जिन माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि मुख्य मंत्रियों की अविलम्ब बैठक बुला करके इस समस्या पर विचार किया जाए, मैं उससे सहमत हूं। या तो आप अपने आप कुछ कीजिये नहीं तो ऐसे कानून राज्यों द्वारा बना दिये जाएंगे जिसके चलते देश में फाइनेंशियल अराजकता आ जाएगी। इसके लिए आपकी जिम्मेदारी होगी। इसलिए मैं फिर एक बार आपसे अनुरोध करूंगा कि किन कारणों से बिहार की रायल्टी में 133 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का घाटा हुआ है और कांग्रेस शासित राज्यों में फायदा हुआ है। यह अगर पोलिटिकल कारण नहीं है तो आप हमें बता दीजिये कि क्या हुआ है? यही मुझे कहना है। **(व्यवधान)**

SHRI MENTAY PADMANABHAM (Andhra Pradesh): Thank you, Madam.

This Bill will enable the State Governments to retain whatever royalties, cesses and other dues are collected by them. But this Bill does not have any bearing on the future set-up of the Centre-State financial relations. My friend Mr. Sinha has already pointed out that there is a need for a complete restructuring of the Centre-State financial relations with regard to-mineral royalties, etc. Madam, Andhra Pradesh is one of the mineral-rich States. High-value minerals such as coal, iron ore, etc. are within the domain of the Centre. Only minor minerals are within the jurisdiction, of the State Governments. For example, in Andhra Pradesh, because of financial difficulties, because of scarce resources, they are imposing cess, taxes, on river sand and granite metal which are used as building material. As a result, the costs of building material are going up and it has become really very, very difficult for the common man to go in for construction of a building. River sand which used to be taken away by individuals, by the common man, without paying any tax, is now being taxed in Andhra Pradesh. Similar is the case of granite metal. It was available freely. A lorry of two units of granite metal used to cost about Rs. 500/- or Rs. 600/- previously, including the cost of transportation. Now the cost has gone up to Rs. 2,000/- or Rs. 2,500/- or Rs. 3,000/-or even more in some places. It is be-

cause of this anomaly that exists in the Centre-State allocation of resources that the State Governments are resorting to augment their revenues on some minor minerals which are commonly used by people in almost all the places in the State.

Madam, the Sarkana Commission has also made some recommendations with regard to the restructuring of the Centre-State financial relations, not only in relation to mineral wealth but in relation to other items of Central devolution to the States. And there are various other Committees which have pointed out this anomaly in the Centre-State financial relations. Therefore, I appeal to the Government to bring in a comprehensive legislation in consultation with the Chief Ministers of the various States; a comprehensive legislation totally restructuring the sharing of the resources, the sharing of the income that the Central Government and the State Governments derive out of minerals. It is not only a question of royalty. There is a need for recasting the entire Seventh Schedule,

Some of the major minerals are given away to the Central List and very very minor minerals, which will not get any income to the States, are in the State List. When a Bill is brought, then some minerals are to be given to the Centre and some minerals are to be given to the States. So, what minerals are to be again given to the States and what minerals are again to be taken by the Centre, should also be gone into and a comprehensive Bill should be brought before this House for its consideration.

श्री राम अवधेश सिंह (गिरिडीह): उपसभापति महोदया, यह जो बिल लाया गया है, लगता है कि केन्द्र सरकार कुछ दया का दान दे रही है। दया का दान देने के मुताबिक इस बिल की भाषा रखी गयी है, जबकि यह हमारा अधिकार है। मैं भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार 7 वीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 50 की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। 50वीं प्रविष्टि में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है:

> "संसद् द्वारा, विधि द्वारा, खनिजों के विकास के सम्बन्ध में अधिरोपित निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, खनिजों सम्बन्धी अधिकारों पर कर"

यह लगाने का अधिकार राज्य के संविधान में है। इस संवैधानिक अधिकार को स्पष्ट लिखा गया है। सातवीं सूची में, केन्द्र की सूची के अंदर जो प्रविष्टि 54 है उसकी भाषा भी मैं पढ़ना चाहता हूं:

> "उस सीमा तक खानों का विनियमन और खनिजों का विकास जिस तक संघ के नियंत्रण के अधीन ऐसे विनियमन और विकास को संसद् विधि द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित करे।"

इस प्रविष्टि के रहते हुए भी स्टेट सूची में यह लिखा गया था कि यह राज्य का अधिकार है कर लगाने का। उस प्रावधान के रहते हुए भी राज्य सूची में सातवीं अनुसूची के अंदर यह लिखा है कि राज्य का अधिकार है खनिजों पर कर लगाना। सुप्रीम कोर्ट और कई कोर्टों ने पता नहीं किस दबाव में या किस तरह से इसको अवैध घोषित कर दिया कि सेस लगाने का अधिकार राज्यों को नहीं रहेगा। इस फैसले के बाद राज्य को जो अधिकार था, मालिकाना हक था—सेस का मतलब क्या है कि उसको कर लगाने का अधिकार है—उसको छीन लिया गया और संघीय ढांचे पर एक प्रबल प्रहार किया गया। संघीय ढांचे का मतलब है कि राज्य को अपनी स्वायत्तता और कुछ जो उसकी सम्पत्ति है उस पर उसका अधिकार होना चाहिए। यह आज की तारीख में कोई गंभीर मामला नहीं लग रहा होगा, केन्द्र के लिए भी और अखबार वालों के लिए भी लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बहुत ही विस्फोटक काम हो रहा है ... **(समय की घंटी)** महोदया, मैं आपको कहना चाहता हूं कि सेस, जैसे बिहार में हमको कोयले पर 40 फीसदी सेस मिलता है और कोल विभाग ने यह नौटंकी रची कि हम रायल्टी बढ़ा देते हैं और सेस घटा दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब सेस के खिलाफ, संविधान के खिलाफ हो गया तो सेस हटा दिया। रायल्टी बढ़ा दी। पौने दो फीसदी रायल्टी मिलती थी वह बढ़ाकर 23 परसेंट कर दी लेकिन हमको, बिहार के राजस्व को सब मिलाकर 19 फीसदी का घाटा हो गया।

तो इस तरह से करीब-करीब 17 करोड़ रुपया प्रति महीना बिहार को कोयले की रायल्टी में सेस के हटा देने से घाटा हो गया।

यह जो बिल आया है, लगता है कि हमारे ऊपर कृपा की जा रही है। हम कृपा करके कुछ छोड़ रहे हैं जो हमने 4 अप्रैल, 1991 तक वसूल कर लिया है। यह हमसे और वसूलना चाहते थे। तो थोड़ी हम पर दया कर रहे हैं कि अब नहीं वसूलेंगे। बिल का मूल लक्ष्य इतना ही है। यही इनके कहने का उद्देश्य है।

तो, महोदया, मैं एक बहुत गंभीर खतरे की ओर संकेत करना चाहता हूं। यह केन्द्र सरकार को खनिज सम्पदा के बारे में एक व्यापक बिल लाना चाहिए। बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है कि वह कोई काम करे।

[श्री राम अवधेश सिंह]

उसके पास पैसा नहीं है कि वह वेतन दे, सड़क बनाये, बिजली पैदा करे और हमारी सम्पदा दिल्ली सरकार कानून बना करके लूटती रहती है।

मैंने पिछली दफा भी कहा था कि सेस के साथ-साथ हमको रायल्टी कम से कम सौ फीसदी मिलनी चाहिए। मैंने उदाहरण दिया था कि आयरन ओर पर हमको अढ़ाई रुपया प्रति टन मिलता है। रायल्टी अढ़ाई रुपया टन से लेकर, इधर सुनते हैं कि साढ़े तीन रुपये की है। एक टन आयरन ओर से छह क्विंटल स्टील बनता है। **(समय की घंटी)** छह क्विंटल स्टील का आज की तारीख में दाम दस हजार रुपये है। तो दस हजार का माल तैयार करता है टाटा, स्टील अथारिटी और हमको देता है मात्र अढ़ाई रुपये। बम्बई में अगर स्टील हमारा बिकता है, तो वह दस प्रतिशत सेल्स-टैक्स ले लेता है। उसको एक हजार रुपया उसका मिल गया और कोई-कोई तो पंद्रह प्रतिशत भी ले लेता है।

उपसभापति : राम अवधेश जी, अभी दूसरे लोग भी हैं। आप जो प्वाइंट्स हैं, वह बोल दीजिए, क्योंकि आपका समय खत्म हो गया है।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं तो बहुत संक्षेप में ही बोल रहा हूं।

उपसभापति : नहीं, संक्षेप में नहीं बोल रहे हैं। आप प्वाइंट्स बोल दीजिए।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं प्वाइंट्स ही बोल रहा हूं। इसलिए, महोदया, मैं चाहता हूं कि इन सभी चीजों पर मुकम्मिल विचार करने के लिए व्यापक खनिज सम्पदा के ऊपर बिल लाया जाए। जैसे एक्साईज़-ड्यूटी है, उसमें हमारा हिस्सा मारा जा रहा है। बिहार का करीब-करीब अढ़ाई हजार करोड़ रुपया मारा जा रहा है। रायल्टी अगर हमको आयरन ओर पर मिलती, कोयले पर मिलती. ..**(व्यवधान)**...

SHRI JAGESH DESAI : He says that in Maharashtra there is about 10% sales-tax on steel. It is completely wrong. Steel is a declared good and no State Government can increase the rate of sales-tax more than 4% which is the rate for declared goods. They have to charge according to the Central Government rules.

श्री राम अवधेश सिंह : आपका चार लगता हो, किसी राज्य में दस लगता है।

SHRI JAGESH DESAI : Steel is a declared good.

उपसभापति : आपको मालूम नहीं है। राम अवधेश जी, जो वह कह रहे हैं, वह ठीक कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि यह डिक्लेयर्ड गुड्स है। सेंट्रल गवर्नमेंट से उसके ऊपर चार प्रतिशत छूट है। उससे ज्यादा नहीं होगा।

श्री राम अवधेश सिंह: उनको मालूम नहीं है कि सेंट्रल सेल्स-टैक्स अलग है और स्टेट सेल्स-टैक्स अलग है।

SHRI JAGESH DESAI: Steel is a declared good even for the purpose of local-sales-tax; There are some items on which you.cannot increase the rate.

उपसभापति: आप बिहार में रहिए। ज्यादा बेहतर है कि महाराष्ट्र में न जायें।

श्री राम अवधेश सिंह: हमारा कहने का मतलब यह है कि हम पैदा करते हैं। हमको एक टन पर अढ़ाई रुपया मिलता है और जिस राज्य का कुछ भी नहीं, हमारा पानी, हवा, बिजली लगी, श्रम-शक्ति लगी हम लोग जो पैदा करते हैं उनको एक टन पर अढ़ाई रुपया और जिसका कुछ भी नहीं लगता है, वह हजार रुपये टन, पांच सौ रुपये टन, दो सौ रुपये टन, अलग-अलग राज्यों में सेल्स-टैक्स के अनुसार लग जाता है। **(समय की घंटी)**

तो मेरा कहना है कि हमको रायल्टी कम से कम जो स्टील पैदा होता है, उसके रेट से जितना होता है, 10-15 प्रतिशत दे दिया जाए, तय करिए, ताकि हमको भी लगे कि हमारी दौलत का कुछ हिस्सा हमको मिल रहा है। अगर आप सौ रुपये टन आयरन और खरीदते हैं, तो हमको सौ रुपया टन रायल्टी दें। क्यों नहीं सौ रुपया रायल्टी आप देते हैं? तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस तरह से हमारी लूट हो रही है, हम लुटते जा रहे हैं। और यहां बैठकर जिसका मन आता है कहता है कि बिहार वाला गरीब है। गरीब नहीं रहेगा तो क्या होगा? गरीब तो तुम बना ही रहे हो। दिल्ली में कानून बना करके बैठ करके हमको लूटने का कानून बनाते हो और कहते हो कि बिहार गरीब है। बहुत उदारतापूर्वक, उपेक्षापूर्वक आप कहते हो। वह दिन दूर नहीं है यह झारखंड का जो आंदोलन है इसी का एक अंग है और आप समझ लेना कि यह दबने वाली चीज़ नहीं है। मैं इसके लिए पिछले तीन सालों से इस सदन में संघर्ष करता रहा हूं और आपको मालूम है महोदया, इसके लिए हमको जेल जाना भी पड़ा है।

उपसभापति: प्रो॰ सौरीन भट्टाचार्य।

श्री राम अवधेश सिंह: मैं यह कहना चाहता हूं, महोदया, कि अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, यह मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इन्हीं के काल में, यह बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं समझता हूं कि दिल्ली सरकार

से व्यापक बात करें, प्रधान मंत्री से बात करें, फाइनांस मिनिस्टर से बात करें। ...(व्यवधान)...

उपसभापति: राम अवधेश जी, अब आप बैठिए। प्रो॰ सौरीन भट्टाचार्य। ..**(व्यवधान)...**

श्री राम अवधेश सिंह: अगले सत्र में लाएं, जो राज्य सभा का सत्र शुरू होने वाला है 24 अप्रैल से और हम लोग इनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद।

PROF. SAURIN BHATTACHARYA: Madam Deputy Chairman, I was very disconcerted by the remarks of a former Finance Minister of the country, Mr. Yashwant Sinha, that it was a simple piece of legislation. For the Government to do anything simple seems to be a bit amazing. But when he proceeded, I of course could realise that there is some sting in the tail which perhaps has been brought out by various speakers. This Bill, as it has been said, validates certain State Acts which were declared ultra vires by the Supreme Court because they covered an area on which the Union Government has banned legislation. Minerals being on the Concurrent List—so far as my idea oes—it is necessary to realise what exactly was the nature of the Union legislation. Even in respect of subjects under the Concurrent List, States are not precluded from framing laws unless they run contrary to the Central legislation. In this case it might be that the Central legislation was prepared in a manner which transgresses on the jurisdiction of the States and the Supreme Court did not on that occasion—it might be that the issue was not pleaded before it—pay any heed to that aspect of the matter. Therefore, the nature of the Central legislation has to be gone into. Should such a legislation which stands in the way of States' justified rights, legitimate rights be on the Statute Book? There is a strong case in favour of reexamination of this point. I would request the hon. Minister—whose simplicity I don't deny, though the Governent may be complicated—to examine, re-examine the Union legislation which was responsible for invalidation of the State laws. Other parts, I think, have sufficiently been discussed. I know, for example, it does not come under this Ministry, no doubt.

West Bengal could not get the benefit of the increased coal royalty as the cess on coal vied the State Government was not looked upon with favour by the Union Government and the Minister concerned announced in this very House that if and when the State Government withdrew that cess they would be eligible for increased royalty. Now I think in that respect Mr. Ram Awadhesh Singh was quite correct that the attitude of the Central Government is, it is being merciful to the States and it is not the right of the States. Minerals are in the bowels of the earth which remain within the territory of a State and the State's right on the minerals is an inalienable right. Let the Government of India not see that day when, in Assam oil was not allowed to flow out of Assam. That type of movement may not be unimaginable in the case of other States also, if this approach, this outlook, these legislative hindrances to States' rights does not change. I would request the Union Government through you, Madam, and through the Minister piloting the Bill that these aspects of the matter be seriously gone into by the Union Government. What the Finance Minister said or has not said is not important. Unless and until the policy of the Government reflects that change, and as I have said, if it does not reflect quickly and expeditiously, in that case more serious consequences may flow out of it. Thank you, Madam.

SHRI KAMAL MORARKA (Rajasthan): Madam, I just want to make two or three points. This Bill of course, is a very small Bill but it gives a very good opportunity to the House to focus attention on this very long-standing and important problem in the country. Madam, Bihar, Orissa and Rajasthan, all these States which have got minerals are not poor States. They are rich States of the country consisting of poor people. And if the people are poor, the people are not responsible for their poverty. There is something wrong with our entire structure that the spinoff of the entire economic activity does not reach them. Before I come to minerals, the other case which is very apparent is the credit-deposit ratio of banks. It is clear that though the deposits are going up because of the agricultural sector and the small people from the States, the credit-de-

[Sh. Kama! Morarka]

posit, ratio is very poor. Banks are lending money only in the urban areas and for big industries and other things. So the areas which have a large population, which are based on agriculture or agro-based activity need special attention. Coming to the specific point on minerals, the Ninth Finance Commission in its report has touched on this point, nit only for minerals but also for oil. There is a long-standing problem of Maharashtra and Gujarat for oil and gas. They are similar problems. At the time when the Constitution was made there was no offshore oil, so obviously that problem could not be dealt with. But the fact remains that a stable mechanism has to be devised by which proper transfer of resources to the States takes place, not by the mercy of the Centre though the budget but as a matter of right. Today we see in the budget the transfer that is made to the States, it is shown as if it is going up. But this is a fallacy. Actually the transfer is going down because for the real wealth created, they are not even getting their money for that wealth. So what we are transferring to them is out of appropriation that we have made at their cost. You are transferring a small portion to them and show it as if you are making a larger devolution of funds. What is required is—I would request the Government, the Tenth Finance Commission I understand is under formation—there should be special terms of reference. The Ninth Finance Commission touched upon it but it was not a specific terms of reference. The Tenth Finance Commission should specially deal with this problem. With regard to cess on minerals, what should be the fair distribution for the States and the Centre should be statutorily laid down. It should be statutorily laid down by the Tenth Finance Commission.

SHRI JAGESH DESAI: For oil also.

SHRI KAMAL MORARKA: Oil and gas in addition to minerals.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Oil is a mineral—mineral oil.

SHRI JAGESH DESAI: I want it specifically because we are concerned with oil.

SHRI KAMAL MORARKA: Madam, in the Budget speech, I have mentioned about how the Centre has got recourse to deficit financing to meet its gap in the Budget. But the States do not have such a facility—they take overdraft from R.B.I. and the Central Finance Ministry has frowned upon them. The States are always in a jam. Some of the States are backward and, I repeat, it is because of the peculiar structure. If 75 to 80 per cent of the total money goes for establishment expenses, what development can they do with 20 per cent? We would be having a serious social and economic upheaval if this matter is not put on a proper footing. I agree with Mr. Ram Awadesh Singh; Jharkhand and other movements are ultimately an offshoot of long-standing aspirations of people not getting due recognition. I request the Government to take this matter seriously before it is too late and ask the Tenth Finance Commission to go through it and lay down logical, rational criteria to devolve the funds to the States not from the Budgetary allocations but as a part of the wealth being created there. Thank you.

उपसभापति: श्री महन्ती जी, आपको कोई एक-दो जुमले बोलने हैं।

SHRI SARADA MOHANTY (Orissa): Madam Deputy Chairman, my first point is that royalty should be fixed not on quantity but on value. The second point is that a comprehensive law should be brought forward so that the States will be able to collect cess and all legal restrictions or obstructions should be removed. Thirdly, my State, Orissa, is rich in minerals and coal and does not have any resources excepting royalty. Orissa is producing 25% of coal in the country. But the royalty fixed on coal is totally insufficient and the Orissa Government is going to lose Rs. 50 crores-per annum. This should be increased. I agree - with what Shri. Shankar Dayal Singh and Shri Yashwant Sinha said.. With these words, I support this Bill.

श्री बलराम सिंह यादव : माननीय उपसभापति महोदया, मैं अपने समस्त साथियों का खास तौर से धन्यवाद करता हूं कि बावजूद बहुत से सुझाव के लगभग सभी लोगों ने, जो मैं आज यह बिल लाया हूं इसका समर्थन किया है।

महोदया, यह बिल क्यों लाया गया, किन परिस्थितियों

में लाया गया और कुछ बातें, जो माननीय साथियों ने बिन्दु उठाए हैं, इसके संबंध में मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। जिन राज्य-सरकारों ने अपने राज्य के कानूनों के तहत लेवी लगाई थीं, वे प्रस्तावित कानून को जल्दी लागू करने की लिए जोर डाल रहे थे ताकि हाईकोर्ट और सुपरीम-कोर्ट द्वारा रद्द किए गए राज्य अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्त की गई राशियों को। विधिमान्य बनाया जा सके। मध्य प्रदेश और उड़ीसा सरकारों ने इस मामले में तत्कालिकता को देखते हुए एक अध्यादेश प्रख्यापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से विशेष अनुरोध किया था। मध्य प्रदेश के बारे में उल्लेखनीय है कि सुप्रीम-कोर्ट में 04.04.1991 के निर्णय के आधार पर, जिसमें मेसर्स हीरालाल रामेश्वर प्रसाद एक प्रतिवादी थे, अनेक आवेदकों ने मध्य प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि राज्य अधिनियमों के अंतर्गत सरकार द्वारा वसूल की गई लेवियां उन्हें वापस की जाएं। आवेदकों ने मध्य प्रदेश सरकार को सूचित किया कि अगर उन्हें यह राशि नहीं लौटाई गई तो वे हाईकोर्ट और सुप्रीम-कोर्ट द्वारा राज्य कानूनों को रद्द किए जाने के अंतर्गत की गई वसूल लेवियों को न लौटाने के विरोध में सुप्रीम-कोर्ट में मानहानि याचिका दायर कर देंगे। लगभग 40 याचिकाएं जबलपुर हाई कोर्ट में दायर की गई और अनुरोध किया गया कि वह मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम, 1981 और मध्य प्रदेश कराधान अधिनियम, 1982 के अंतर्गत वसूल की गई लेवियों को लौटाने के लिए राज्य-सरकार को निर्देश दे। उड़ीसा में भी इस प्रकार की स्थिति थी। उड़ीसा के मुख्य मंत्री उड़ीसा सरकार द्वारा लगाए गए कर, उप-कर एवम अन्य करों को विधिमान्य करने के लिए एक अध्यादेश प्रख्यापित करने का अनुरोध करते आ रहे थे, जिसमें मैसर्स उड़ीसा सीमेंट लि० बनाम उड़ीसा सरकार और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया था। चूंकि संसद के दोनों सदनों की बैठक नहीं चल रही थी और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने कानूनों के तहत 4-4-91 तक एकत्र किए गए उप-कर को विधिमान्य करने की आवश्यकता थी, इसलिए राष्ट्रपति द्वारा 15 फरवरी, 1992 को खनिज उप-कर एवम अन्य कर विधिमान्यकरण अध्यादेश 1992 का संख्या 7 प्रख्यापित किया गया। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा 15 फरवरी, 1992 को प्रख्यापित खनिज उप-कर एवम अन्य कर विधिमान्यकरण अध्यादेश-1992 का संख्या 7 को सदन द्वारा अस्वीकृत करने के लिए प्राइवेट मैम्बर्स का प्रस्ताव, संकल्प न्यायोचित नहीं है। अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस संकल्प पर जोर न डालें।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ बातें उठाई हैं। माननीय सदस्यों ने रॉयल्टी के बारे में कहा, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि रॉयल्टी जो है, उसका रिवीज़न हो चुका है। राज्य सरकारों की तरफ से लगातार इसको रिवाइज़ करने के लिए जोर था। कहा जा रहा था कि रॉयल्टी को रिवाइज़ किया जाए, रॉयल्टीको रिवाइज़ कर दिया गया है। साथ ही साथ, मान्यवर, यह शंका थी कि रॉयल्टी का रिवीज़न करते समय खास तौर से जो अपोजीशन रूल्ड स्टेट्स हैं, उनके हितों का ध्यान नहीं रखा गया, उनको आर्थिक क्षति पहुंचाई गई, मान्यवर, ऐसी बात नहीं है। इस संबंध में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शायद हो सकता है कि माननीय सदस्य समझ रहे हों कि कोयला भी उसमें जुड़ा हुआ है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि कोयले की रॉयल्टी का रिवीज़न कोयला विभाग करता है और जो ऑदर्स मिनरल्स हैं—मेजर मिनरल्स और शैडयूल्ड मिनरल्स, उनकी रॉयल्टी का निर्धारण मिनिस्ट्री आफ माइन्स करती है। मान्यवर, यह भी शंका थी कि प्रदेश सरकार को खनिजों पर कर लगाने का अधिकार नहीं है। मान्यवर, जितने भी माइनर मिनरल्स हैं, उन सब पर कर लगाने का अधिकार प्रदेश सरकारों को है लेकिन जो एक्ट बनाया गया था—एम०एम०आर०डी० एक्ट-1957, यह बहुत सोच-समझकर और बहुत विचार करके बनाया गया। क्योंकि जो मेजर मिनरल्स और शैडयूल्ड मिनरल्स हैं, अगर उन मिनरल्स पर हम हर स्टेट को कानून बनाने का अधिकार दे दें तो वह राष्ट्रीय हित में नहीं है, इसलिए कि किसी स्टेट में किसी मिनरल की कुछ कीमत होगी और दूसरे स्टेट में दूसरी कीमत होगी, जब स्टेट गवर्नमेंट अपना तय करेंगे, और ओवरआल जो हमारा राष्ट्रीय विकास है, उसको हम नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हमको देखना होगा कि देश में यूनिफार्म कीमतें रहें और बहुत से मिनरल्स ऐसे हैं जिसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो हमें अंतर्राष्ट्रीय मार्किट की प्रतिस्पर्धा में भी खड़ा होना पड़ता है। अतः राज्य सरकारों को मेजर मिनरल्स और शैडयूल्ड मिनरल्स जो हैं, उन पर कर लगाने का अधिकार उनको नहीं दिया जा सकता है। मान्यवर, दूसरे जो एडवेलोरम कीमतें फिक्स करने के लिए माननीय सदस्यों ने निवेदन किया है, उसके संबंध में भी लगभग ऐसी ही स्थिति है। बहुत सोच-समझकर मात्रा के ऊपर, क्वान्टिटी के ऊपर रॉयल्टी फिक्स करने की बात की गई है। अगर हम कीमतों के ऊपर करें तो मान्यवर, आज किसी स्टेट में कुछ कीमत होगी, दूसरे दिन कुछ कीमत होगी, दो महीने बाद कुछ कीमत होगी,... (**व्यवधान**)

श्री विठ्ठलभाई मोतीराम पटेल: इससे क्या फर्क पड़ेगा?

श्री बलराम सिंह यादव: उससे कीमतों में वेरीएशन होगा और यूनीफार्म कीमतें देश में नहीं बन पाएंगी ....(**व्यवधान**).... और इसके अंदर हमको अंतर्राष्ट्रीय

[श्री बलराम सिंह यादव]

मार्किट को भी देखना पड़ेगा। महोदया, यह बहुत से ऐसे बिन्दु उठाये गये हैं, यह हमारा अपना विचार है। माननीय सिन्हा साहब ने और सारे लोगों ने यह भी सुझाव दिया है कि मुख्य मंत्रियों को बुलाकर उनके साथ बैठकर विचार-विमर्श किया जाये। तो इससे मैं सहमत हूं और मैं पहले ही से सोच रहा था कि मुख्य मंत्रियों को या माईन्स मिनिस्टर्स को बुलाकर उनकी एक बैठक करली जाये और इन तमाम बिन्दुओं पर जो आपने बिन्दु उठाये हैं, बड़े-बड़े उपयोगी बिन्दु हैं, उन तमाम बिन्दुओं पर उनके साथ बैठकर विचार-विमर्श कर लिया जाये।

श्री एन० के० पी० साल्वे (महाराष्ट्र): महोदया, बहुत तीव्र असंतोष है स्टेट्स में जहां मिनरल्स होते हैं और पूरी व्यवस्था में एक असंतुलन है, ऐसा सबको लगता है। नवें वित्त आयोग में चूंकि टर्म्स आफ रिफ्रेंस नहीं थे, इस पर कुछ नहीं कर पाया। एक बड़ा अच्छा सुझाव आया है, क्योंकि आप और जो स्टेट्स से माईन्स मिनिस्टर्स आयेंगे, वह प्रोब्लम को कोई सोल्व नहीं कर पायेंगे। इसलिये अच्छा होगा कि आप दसवें वित्त आयोग को यह पूरा मैटर रैफर कर दीजिएगा। उनकी सिफारिशें आने के बाद आपका अधिकार है उसे कबूल करना या नहीं। चूंकि वित्त आयोग की सिफारिशों की एक बात होती है, एक एक्सपर्ट की वह ओपिनियन रहती है और यहां आने के बाद केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, उसमें कोई पक्षपात रहा है, यह आरोप नहीं लगाते।

श्री शंकर दयाल सिंह: यह सुझाव ठीक है, हम लोग इसका समर्थन करते हैं।

श्री बलराम सिंह यादव: महोदया, सरकारिया आयोग के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं, उसके संबंध में भी कहना यह है कि..... **(व्यवधान)**

THE DEPUTY CHAIRMAN: No interruptions. Let him finish.

SHRI BALRAM SINGH YADAV: About Kolar gold fields ... *{Interruptions)*

AN HON. MEMBER: She is the master of all. *{Interruptions)*

श्री बलराम सिंह यादव: सरकारिया आयोग की जो रिपोर्ट है, महोदया, इसके लिए इंटरस्टेट कौंसिल गठित की गयी है और इसमें यह मामला आयेगा, उसमें विचार होगा और तत्पश्चात जो भी तय होगा, सरकार उसके संबंध में उचित निर्णय लेगी।

जहां तक कोलार गोल्ड फील्ड्स के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा है, महोदया, इस संबंध में मेरा कहना यह था कि कोलार गोल्ड फील्ड्स में जो हमारी पी०जी०पी०डी०एम०एल० माईन्स हैं, वह बहुत पुरानी माईन्स है और इसमें कोई शक नहीं है कि उसमें जो गोल्ड कंटेंट्स हैं वह जैसे-जैसे हम नीचे उसमें खुदाई करते जा रहे हैं, उसमें गोल्ड कंटेंट्स कम होता जा रहा है। लेकिन जहां तक गोल्ड के एक्सप्लोरेशन का सवाल है और उसके आईडेंटिफिकेशन का सवाल है, उसमें काम चल रहा है और महोदया, यह सतत प्रक्रिया है, जो लगातार एक्सप्लोरेशन के आईडेंटिफिकेशन की रहती है। तो वह कार्य चल रहा है। उसके रिजल्ट्स कब, क्या अच्छे आयेंगे और कितना कहां अच्छा मिलेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है।

महोदया, अब मैं निवेदन करूंगा माननीय सदस्यों से कि वे कृपया इसको वापिस ले लें, संकल्प पर ज़ोर न दें जिससे हमारी सरकार का न कोई फायदा है, न नुकसान है। महज आपकी मदद करने के लिए खास तौर से जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, उनको वित्तीय संकट से उबारने के लिए और उनकी मदद के लिए मैं यह बिल लाया हूं। तो मेरा निवेदन है कि वह इस पर जोर न दें और इसको वापिस ले लें।

उपसभापति: बिल लाये हैं, अपने हाऊस के सदस्य हैं।

SHRI YASHWANT SINHA: Madam, unfortunately, the Minister—we have lis tened to the Minister carefully—he has given the impression that he has spoken with a closed mind in regard to the various suggestions we have made. he should at least approach the suggestions with an open mind. This is the request I will make, because it cuts accoss party lines, whether this side.....

श्री एस० जयपाल रेड्डी (आन्ध्र प्रदेश): हिन्दी नहीं आती आपको?

श्री यशवन्त सिन्हा : हिन्दी आती है, बिल्कुल आती है। इसलिये मैं उनसे कहूंगा कि... **(व्यवधान)**

श्री शंकर दयाल सिंह: श्री रेड्डी जी ने इनको रिमार्क्स दिया कि हिन्दी में बोलो, हिन्दी जानते हो?.... **(व्यवधान)**

उपसभापति: डिस्कशन चाहे बंद हो जाये, पर दिमाग खुला रखिये।

श्री यशवन्त सिन्हा : दिमाग तो खुला है और खुले दिमाग से हम लोगों ने जो सुझाव दिये हैं, उस पर आप गहन रूप से विचार कीजए।

उपसभापतिः मंत्री जी, जो सुझाव दिए गए हैं उन पर आप खुले दिमाग से सोचिए और जो सजेशन आए हैं, वह किसी पार्टी विशेष की तरफ से नहीं हैं, सभी सदस्यों की तरफ से हैं। अहलुवालिया जी, हनुमंतप्पा जी, सभी पार्टियों के लोग बोले हैं। इसलिए कृपया ध्यान दीजिए।

The question is: "That that Bill to validate the imposition and collection of cesses and certain other taxes on minerals under certain State laws, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted. THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill. *Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill. Clause I, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.* SHRI BALRAM SINGH YADAV: I move:

"That the Bill be returned." *The question was put and the motion was adopted.*

SHORT DURATION DISCUSSION ON THE PROGRESS OF INVESTIGATION INTO BOFORS GUN DEAL

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, as planned, we will take up the Short Duration Discussion on Bofors gun deal, and I think as it was decided, I will ask the Rakhsha Rajya Mantri to make his statement.

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI S. JAIPAL REDDY): We have no objection to the statement. If it had been circulated earlier, we could have gone through it and formulated our response.

THE DEPUTY CHAIRMAN: If it was a Calling Attention, it would not have been circulated to you. At least we are going half-way here and half-way there. *(Interruptions)* Mr. Narayanasamy, if you please sometimes do not disturb, I will be highly obliged, *(Interruptions)* because you know we came to this agreement later.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): It should have been circulated one day earlier. *(Interruptions)*

AN HON. MEMBER: Where is the Defence Minister? *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Defence Minister, as I said in the morning in the meeting, had to go abroad, which was a prior commitment. I also announced here in the House.

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal): This notice was accepted earlier.

THE DEPUTY CHAIRMAN: This notice was accepted earlier. But I have got a letter. Shall I read out that letter, addressed to the Chairman?

> "Sir, I have to be abroad on 2nd April on urgent affairs of the State. I shall be unable to be present in the Rajya Sabha during the discussion on the progress of the investigation into the Bofors gun deal...."

(Interruptions)

The same rule applies to you also, which applies to Mr. Narayanasamy. *(Interruptions)*

SHRI DIPEN GHOSH: The Foreign Minister's visit...*(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: It was decided. You were a party to that decision. You agreed to it. So let us go ahead.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI GHULAM NABI AZAD): The Foreign Minister's programme abroad was fixed a month back. Twenty days before he had written to me that he will be away from 2nd to 11th. So it is not that only the day before or two days before it was decided. The programme was pre-decided as long as one month back.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Rakhsha Rajya Mantri is a very competent person.

SHRI DIPEN GHOSH: It is not a question of competence. *(Interruptions)*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let us not *(Interruptions).* I am not going to entertain any argument now.

SHRI DIPEN GHOSH: I am not questioning his competence. I am aware that